

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 14th DECEMBER, 1995

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

New Delhi the 14th December, 1995

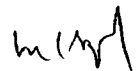
NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification vide S.O. 521(E) dated 14th July, 1994 issued under sub-section (1) read with clause (b) of Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified the scheme at serial number 12 the construction and furnishing of sports complex building at Village Memnagar, District Ahmedabad by The Ahmedabad Government Employees Tennis Association, Ahmedabad, as an eligible project or scheme for a period of one assessment year in relation to assessment year 1995-96;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond one year;

AND WHEREAS the National Committee being satisfied that the said project or scheme is executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years;

NOW, THEREFORE, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereby specifies the construction and furnishing of sports complex building at Village Memnagar, District Ahmedabad, which are being carried out by The Ahmedabad Government Employees Tennis Association, Ahmedabad, at the estimated cost of rupees sixty one lakhs only as an eligible project or scheme for a period of two assessment years commencing from the assessment year 1996-97.



(V.K. SEHGAL)
Deputy Secretary to the Government of India

No. 9925
F.No. NC-156/95

भारत के राजपत्र असाधारण के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड 111 में
दिनांक 14 दिसम्बर, 1995 को प्रकाशित

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर, 1995

अधिसूचना

कमिशनर 130 : केन्द्रीय सरकार के आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड 1ख के साथ पठित उपधारा 111 के अधीन 14 जुलाई, 1994 को का.अ. 521 (अ) के तहत जारी अधिसूचना द्वारा क्रम सं० 12 पर, अहमदाबाद सरकारी कर्मचारी टेनिस संघ, अहमदाबाद की जिला अहमदाबाद, गांव मेमनगर में खेलकूद काम्प्लेक्स भवन का निर्माण और सुसज्जा करने को पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1995-96 के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था।

और उक्त परियोजना या स्कीम को एक वर्ष से आगे बढ़ाए जाने की सम्भावना है ;

और राष्ट्रीय समिति ने, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम 15 के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को दो वर्ष की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की और सिफारिश की है ;

अतः अब अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड 1ख के साथ पठित उपधारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला अहमदाबाद, गांव मेमनगर में खेलकूद काम्प्लेक्स भवन के निर्माण और सुसज्जा को अहमदाबाद सरकारी कर्मचारी टेनिस संघ अहमदाबाद द्वारा किया जा रहा है केवल एकसठ लाख 20 की पात्र परियोजना

या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1996-97 से आरम्भ होने वाले दो
और निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।


[वी०के० सहगल]

उप सचिव, भारत सरकार

सं० ११२५

फा० सं० एनसी-156/95